रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क

परिचय:

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी) बिजली बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं सहित उत्पादन, पारेषण और वितरण की मूल्य श्रृंखला में वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्ध है। आरईसी भारत सरकार के स्थायी तरीके से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सभी को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण 24x7 बिजली प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरईसी सौर फोटो-वोल्टाइक परियोजनाओं, बायोमास, जैव ईंधन, बायोगैस परियोजनाओं और पवन परियोजनाओं सहित ग्रिड से जुड़े और ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता मंजूर कर रहा है।

आरईसी बिजली परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है और वित्तपोषण कर रहा है जो नवीन पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ कई ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास, समाज के सामाजिक उत्थान और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान मिल रहा है।

आरईसी ने एक 'कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति' तैयार और कार्यान्वित की है। अपने हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आरईसी के कारोबार संचालन को सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) पहल जारी रखी गई थी। ऐसी पहलों की पहचान करते समय कंपनी ने ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण के संदर्भ में मापे गए समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। आरईसी पर्यावरणीय स्थिरता, पेयजल सुविधाओं, चयनित गैर-विद्युतीकृत/खराब विद्युतीकृत गांवों में सौर स्मार्ट माइक्रो ग्रिड लाइट आदि सहित स्थिरता और विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में विभिन्न पहल कर रहा है।

फ्रेमवर्क अवलोकन:

ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क, जलवायु बॉण्ड मानक संस्करण 2.1 के अनुसार स्थापित किया गया है (अधिक जानकारी के लिए https://www.climatebonds.net/standards/standard_download पर जाएं) और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एसोसिएशन (आईसीएमए) द्वारा जारी ग्रीन बॉण्ड सिद्धांत, 2016 का भी पालन करता

है।

यह ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क (ढांचा) मोटे तौर पर आरईसी के ग्रीन बॉण्ड से धन जुटाने की व्यवस्था को निर्धारित करता है और उन जारीकर्ताओं की आय का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में निवेश करने के लिए करता है जो आरईसी के स्थायी मूल्यों के अनुरूप है।

<u>आय का उपयोग:</u>

आरईसी द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने से प्राप्त आय का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं ("योग्य ग्रीन परियोजनाएं") को ऋण देने के लिए किया जाएगा। जलवायु बॉण्ड मानक के तहत क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकी मानदंडों की उपलब्धता के अधीन, योग्य ग्रीन परियोजनाएं मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगी:

क) निम्नलिखित में से एक या अधिक गतिविधियों में सौर परियोजनाएं या परिसंपत्तियां:

- सौर बिजली उत्पादन सुविधाएं जहां सुविधा से उत्पन्न न्यूनतम 85% बिजली सौर ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त होती है
- सौर विद्युत उत्पादन सुविधाओं के लिए पूर्णतः समर्पित पारेषण अवसंरचना।

ख) निम्नलिखित गतिविधियों में से एक या अधिक में पवन परियोजनाएं या परिसंपत्तियां

- पवन फार्मों का विकास, निर्माण और संचालन।
- पवन फार्मों के लिए पूर्णतः समर्पित पारेषण अवसंरचना।

ग) निम्नलिखित गतिविधियों में से एक या अधिक में बायोमास ऊर्जा परियोजनाएं या परिसंपत्तियां

- जैविक सामग्री जैसे ईंधन के स्रोत के रूप में जीवित या हाल ही में जीवित पौधे और पशु सामग्री का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं का विकास, निर्माण और संचालन।
- बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूर्णतः समर्पित पारेषण अवसंरचना।

घ) निम्नलिखित गतिविधियों में से एक या अधिक में जलविद्युत परियोजनाएं

- छोटे भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से कम) और रन-ऑफ-रिवर (एक प्रकार का जलविद्युत उत्पादन संयंत्र जिसके तहत बहुत कम या कोई जल भंडारण प्रदान नहीं किया जाता है) सभी आकार की जलविद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण या निवेश।
- ऐसी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्णतः समर्पित पारेषण अवसंरचना।

ङ) औद्योगिक, भवनों और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने वाली प्रौद्योगिकी और/या उपकरणों का वित्तपोषण या निवेश। स्मार्ट सिस्टम और मीटर जैसी ऊर्जा भंडारण इकाइयों का वित्तपोषण, जो बेहतर ऊर्जा प्रबंधन, सामुदायिक हीटिंग सिस्टम (कोयला संचालित स्रोतों को छोड़कर), थर्मल ताप भंडारण (कोयला संचालित स्रोतों को छोड़कर), जल-ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ताप पंप का सहयोग करते हैं।

च) सतत जल प्रबंधन: पुनर्चक्रित जल का उपयोग करके जल संग्रहण, उपचार, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग, प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे और सीवेज उपचार सुविधाओं में निवेश

छ) सतत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं जिनमें अपशिष्ट-से-ऊर्जा बिजली संयंत्रों सहित अपशिष्ट न्यूनीकरण, संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, निपटान, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण का वित्तपोषण या निवेश शामिल है।

ज) उपरोक्त दो या अधिक प्रौद्योगिकियों के संयोजन को हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है, जहां उचित नियामक अनुमोदन के बाद परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं।

झ) आरईसी द्वारा विद्युत यूटिलिटीज को उनके अनिवार्य नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

<u>योग्य ग्रीन परियोजनाओं का चयन और मूल्यांकन:</u>

आरईसी दिशानिर्देशों के परिभाषित सेट के आधार पर परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जो परियोजना मूल्यांकन और एंटिटी (प्रमोटर) मूल्यांकन पर केंद्रित है। जीवाश्म ईंधन और जलवायु परिवर्तन के विचारों पर भारत की भारी निर्भरता की पृष्ठभूमि में, आरई तैनाती को वित्तपोषित करने के लिए 2010 में एक समर्पित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) प्रभाग की स्थापना की गई थी। आरई प्रभाग परियोजना की तकनीकी वित्तीय व्यवहार्यता की जांच करता है और इकाई प्रभाग प्रमोटर और उधारकर्ता की मजबूती की जांच करता है। परियोजना ग्रेडिंग के लिए मापदंडो को दो सेटों यानी मात्रात्मक और गुणात्मक में वर्गीकृत किया गया है। मात्रात्मक मापदंडो में उत्पादन की लागत, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) शामिल है और गुणात्मक मापदंडो में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार की क्षमता, ऑफटेकर का जोखिम, संसाधन मूल्यांकन, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) ठेकेदार की क्षमता आदि शामिल हैं। इकाई ग्रेडिंग अग्रिम इक्विटी, आनुपातिक इक्विटी, मौजूदा कारोबार, इक्विटी जुटाने की क्षमता, वित्तीय क्षमता आदि के आधार पर इकाई की रेटिंग करके प्राप्त की जाती है। एकीकृत रेटिंग प्रोजेक्ट ग्रेडिंग और इकाई ग्रेडिंग के एक परिभाषित मैट्रिक्स के माध्यम से तय की

जाती है।

उपर्युक्त के अनुसार आरई प्रभाग द्वारा स्वीकृत सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को योग्य ग्रीन परियोजनाओं के रूप में माना जाएगा और उनके संवितरण को ग्रीन बॉण्ड जारी करने के लिए आवंटित किया जाएगा।

जारी करने के बाद, केपीएमजी यह आश्वासन देगा कि नामांकित परियोजनाएं उद्घाटन ग्रीन बॉण्ड जारी करने के लिए ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क के अनुरूप हैं।

बाद में ग्रीन बॉण्ड्स जारी करने या परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची में बदलाव के संबंध में, आरईसी द्वारा समान मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया की जाएगी।

आय का प्रबंधन:

यह आय पुनर्वित्त और नई योग्य ग्रीन परियोजनाओं सहित मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवंटित की जाएगी।

ग्रीन बॉण्ड जारी करने से प्राप्त निवल आय का उपयोग योग्य ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा, जिसे 'ग्रीन पोर्टफोलियो' कहा जाएगा। आरईसी के पास ईआरपी प्रणाली के माध्यम से एक अच्छी तरह से स्थापित आंतरिक ट्रैकिंग प्रणाली है जिसका उपयोग ऐसे ग्रीन पोर्टफोलियो के लिए आय के आवंटन की निगरानी, स्थापना और लेखांकन के लिए किया जाएगा, जिसे नियमित रूप से पुनर्वित्त या चुकाए गए ऋणों और आवंटित नए ऋणों को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन किया जाएगा।

पात्र ग्रीन परियोजनाओं के लिए पूर्ण आवंटन लंबित होने तक, जारी आय के शेष को चालू खाते, कॉर्पोरेट सावधि जमा / वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा, ऋण म्यूचुअल फंड की इकाइयां या इस संबंध में कंपनी के निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी वैधानिक निकाय की नीति, लागू दिशानिर्देश के अनुसार अनुमत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश या आवंटित किया जाएगा।

रिपोर्टिंग:

आरईसी वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अनुभाग के माध्यम से आरईसी के प्रत्येक ग्रीन बॉण्ड जारी करने के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र-वार जानकारी के माध्यम से आय के उपयोग की रिपोर्ट करेगा। इस रिपोर्ट को आरईसी की वेबसाइट (http://www.recindia.nic.in/) पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

आश्वासन:

आरईसी ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क इसकी वेबसाइट (http://www.recindia.nic.in/) पर प्रकाशित किया जाएगा। आरईसी के ग्रीन बॉण्ड फ्रेम वर्क की समीक्षा केपीएमजी द्वारा की जाएगी और ग्रीन बॉण्ड इश्यू के लिए

क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

आरईसी को केपीएमजी द्वारा जारी करने के बाद की समीक्षा भी मिलेगी, जिसके आधार पर जलवायु बॉण्ड पहल से प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आय आवंटन का उपयोग, परियोजनाओं और परिसंपत्तियों की चल रही पात्रता, जारीकर्ता के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और आउटपुट और अभी तक आवंटित नहीं की गई धनराशि की प्रणालियाँ और उपयोग स्थापित रूपरेखा के अनुसार हैं। जारी करने के बाद का प्रमाणन बॉण्ड जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा।